

प्रेस विज्ञप्ति

7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड 2018

भारत सरकार ने 7.75% बचत (कर योग्य) बांड 2018 को 10 जनवरी, 2018 से जारी करने का निर्णय लिया है ताकि भारतीय निवासी/हिंदू अविभाजित परिवार **कर योग्य बांड** में बिना किसी मौद्रिक सीमा के निवेश कर सकें। इस बांड की मुख्यी विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- (i) निवेश कौन कर सकता है ये बांड, व्यष्टितयों (संयुक्त धारिता सहित) और हिंदू अविभाजित परिवारों के निवेश के लिए खुला है। **इन बांडों में अनिवासी भारतीय निवेश करने के पात्र नहीं हैं।**
- (ii) अभिदान: बांडों के लिए आवेदन बांड बही खाता के रूप में एजेंसी बैंकों और एसएचसीआईएल की नामोद्दिष्ट शाखाओं में लगलग सभी 1600 शाखाओं में प्राप्त किए जाएंगे।
- (iii) निर्गम मूल्य ये बांड सममूल्य अर्थात 100 रुपए पर निर्गमित किए जाएंगे।

ये बांड 1000 रुपए की न्यूनतम राशि (अंकित मूल्यत) और उसके गुणजों में निर्गमित किए जाएंगे। तदनुसार , प्रत्येक 1000 रुपए (अंकित मूल्यत) के लिए 1000 रुपए निर्गम मूल्यर होगा।

ये बांड केवल डिमैट रूप में (बांड बही खाता) में जारी किए जाएंगे।
- (iv) अवधि बांड आगामी सूचना तक जारी रहेंगे और संचयी एवं गैर-संचयी रूप में जारी किए जाएंगे।
- (v) निवेश की सीमा इन बांडों में निवेश करने के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।
- (vi) कर उपाय आयकर: इन बांडों पर ब्याज आयकर अधिनियम 1961 के तहत देय होगा जैसाकि बांड धारकों की संबंधित कर प्रास्थिति के अनुसार प्रयोज्य हो।

संपदा कर: इन बांडों पर संपदा कर अधिनियम , 1957 के तहत संपदा कर से छूट प्राप्त होगी।
- (vii) परिपक्वता और ब्याज दर इन बांडों की परिपक्वता 7 वर्ष होगी। इनपर प्रति वर्ष 7.75% ब्याज अर्ध-वार्षिक देय होगा। 1000 रुपए का संचित मूल्यत सात वर्ष के अंत में 1,703 रुपए होगा।

(viii) हस्तांतरणीयता:

ये बांड हस्तांतरणीय नहीं हैं।

ये बांड गौण बाजार में व्यापार योग्य नहीं होंगे और बैंकिंग संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों या वित्तीय संस्थाओं से संपादित ऋण लेने के पात्र नहीं होंगे।

(ix) नामांकन:

बांड का एकल धारक या एकल जीवित धारक, व्यहष्टि होने के नाते नामांकन कर सकता है।

स्कीम का पूर्ण ब्यौरा दिनांक 03 जनवरी 2018 राजपत्र अधिसूचना में उपलब्ध है।

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

बजट प्रभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

दिनांक 03 जनवरी, 2018